Office of District Magistrate, Bagpat

To,

The Registrar General,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.

No. 652/G-184/24 Date- 05-10.2024

Sub: Compliance report in compliance to Hon'ble NGT order dated 22.08.2024 passed in the Original Application No. 799 of 2024, Nischay Rana V/s State of U.P.

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following main directions-

....“ *3. However, complainant has not as to when the above Koluh was installed or established in since how long which is functioning at the site in question.*

4. Be that as it may, we are of the view, that complaint of the applicant and factual averments made therein can be looked into at the instance, by District Authorities and Statutory Regulators and if they find any violation of CPCB guidelines in establishment of the said sugarcane Koluh, appropriate remedial, preventive and prohibitive action can be taken by such authorities.

5. In view thereof, we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Baghpat and Uttar Pradesh State Pollution Control Board.

6. District Magistrate, Baghpat shall be the Nodal Agency for coordination and compliance of this order.”....

In compliance of the above said order, inspection report of the joint committee is attached herewith. As per the report necessary action has been already taken by the UPPCB. Alleged kolhu was found fully dismantled, therefore no any further action is required. Hereby Report is being submitted for the kind perusal please.

Enclosure: As above

Yours faithfully

05.10.2024

(Jitendra Pratap Singh)
District Magistrate,
Bagpat

Joint inspection report in compliance to Hon'ble NGT order dated 22.08.2024 passed in the Original Application No. 799 of 2024, Nischay Rana V/s State of U.P.

Background-

Hon'ble NGT in its Order Dated 22.08.2024 in Original Application No. 799 of 2024, Nischay Rana Vs State of U.P., which is registered on the basis of letter petition dated 01.11.2023, sent by Nischay Rana S/o Late Brijpal, resident of Village and Pose Nirpura, Distt. Baghpat. Order of the Hon'ble Tribunal is as below:-

...." *3. However, complainant has not as to when the above Koluh was installed or established in since how long which is functioning at the site in question.*

4. Be that as it may, we are of the view, that complaint of the applicant and factual averments made therein can be looked into at the instance, by District Authorities and Statutory Regulators and if they find any violation of CPCB guidelines in establishment of the said sugarcane Koluh, appropriate remedial, preventive and prohibitive action can be taken by such authorities.

5. In view thereof, we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Baghpat and Uttar Pradesh State Pollution Control Board.

6. District Magistrate, Baghpat shall be the Nodal Agency for coordination and compliance of this order.

7. Said Committee shall visit the site, collect relevant information and if finds violation of guidelines of CPCB with regard to installation of establishment of sugarcane Koluh in respect of siting criteria or other aspects, and also the guidelines/directions/observations made by Tribunal in its relevant judgment, appropriate punitive, preventive, prohibitive and remedial action shall be taken by said Committee within two months.

8. Committee shall submit a Compliance Report with Registrar General of this Tribunal within 15 days after inquiry of the above period of two months.

9. Registrar General if finds any further order is required in matter shall place it before the Bench.

10. With the above observations/directions this Original Application is disposed of."....

<u>Inspection of site and observation:-</u>

Inspection of the alleged kolhu unit M/s Udayveer Singh ka Kolhu, Village- Nirpura, Tehsil- Baraut, Baghpat is carried out on 24.09.2024 by the committee consisting Sub-divisional Magistrate, Baraut, Baghpat, District Cane Officer, Baghpat and Asst. Environment Engineer, UPPCB, Meerut. At the time of inspection of the committee, said kolhu was found already dismantled. (Photograph attached).

As per office record of UPPCB, Meerut, the said kolhu was established in 2023. Since the starting regular complaints were submitted on IGRS portal by the complainant Mr. Nischaya Rana. The said kolhu was not established conforming to the siting criteria mentioned in the guideline dt. 13.08.2019 issued by Central Pollution Control Board. Application dt. 03.01.2024 received in UPPCB for Consent to Establishment (CTE) of the kolhu was rejected for the above reason. A show cause notice dt. 13.01.2024 u/s 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended was issued against the said kolhu. Further closure direction was issued vide letter dt.22.05.2024 by UPPCB, confirming the above show cause notice.

It is pertinent to mention that operation of the said kolhu was stopped by Shri Udayveer Singh Rana, Owner before the issuance of closure direction by UPPCB. The compliance affidavit produced by owner to UPPCB is also attached herewith.

Findings:-

Since the said kolhu has been fully dismantled by the Owner before the inspection of joint committee and even before the closure order of UPPCB, no further action was initiated.

Report in compliance of the order passed by Hon'ble NGT is submitted for kind consideration please.

Annexure- As above.

Amar Chandra Verma, Sub-divisional Magistrate, Baraut, Baghpat	
AMay Pratap Singh, District Cane Officer, Meerut	
Yogesh Kumar Mishra, A.E.E., U.P.P.C.B., Meerut	

मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम– निरपुडा, थाना– दोघट, तहसील– बडौत, जनपद– बागपत

निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स–

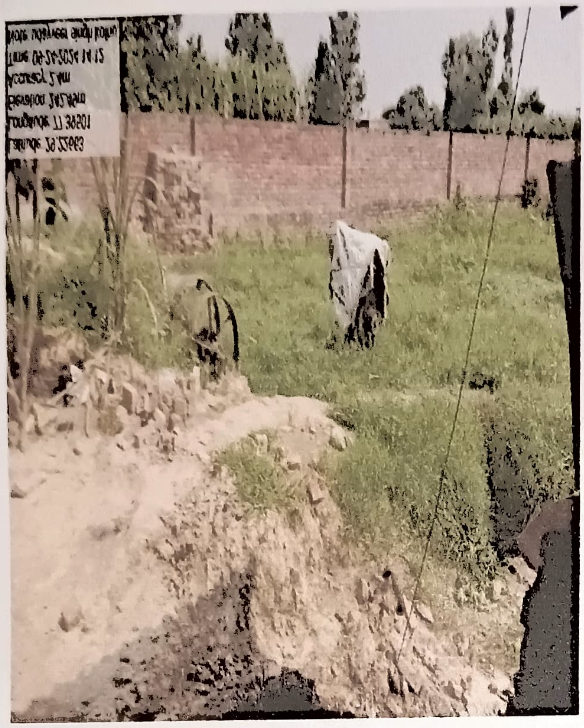

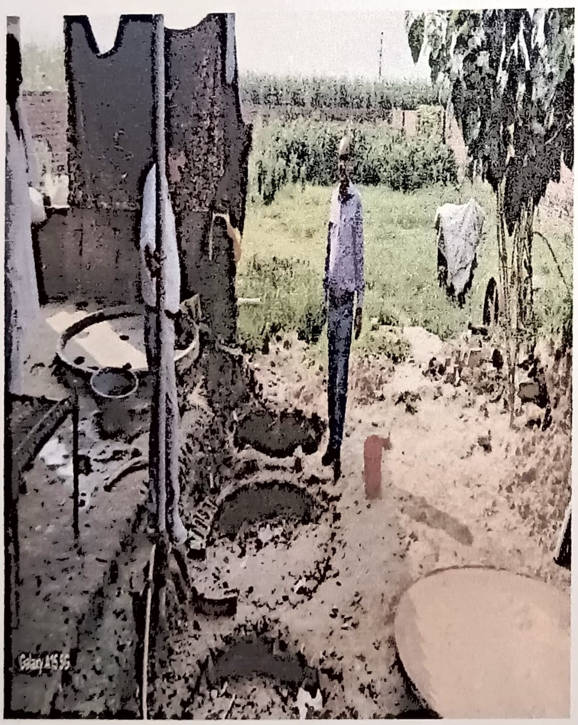

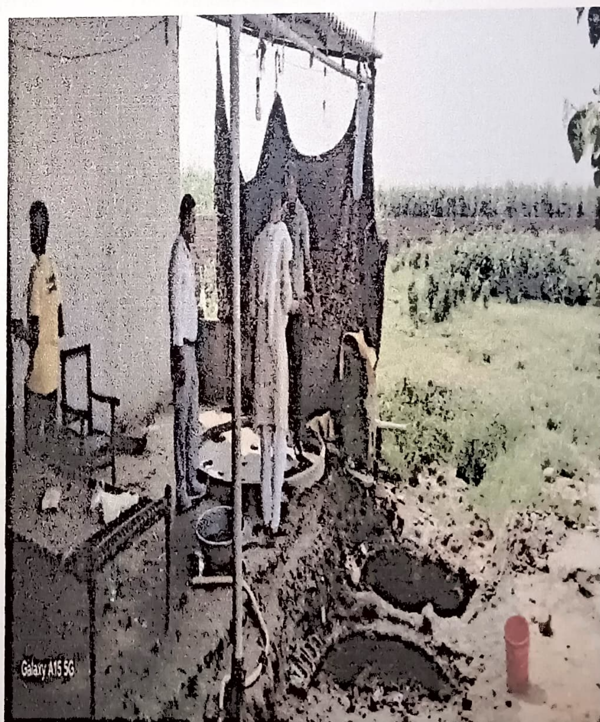

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H/11321/सी–3/वायु-806/मेरठ/24 दिनांक: 22/5/2024

सेवा में, पंजीकृत

मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू,
ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत,
जनपद–बागपत।

यह कि उद्योग मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत जोकि गन्ने के रस का प्रयोग कर गुड़ के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–2(K) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत (अक्षांश–20.226574 एवं देशांतर–77.39505) जो आबादी से लगभग 20 मी0 की दूरी पर स्थापित एवं संचालित है। कोल्हू में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी। फर्नेश के फ्यूल फीड हाल पर फ्लैप एवं पैन वॉशिंग के निस्तारण हेतु शोक पिट भी स्थापित नहीं पाया गया। कोल्हू की स्थापना राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही किया गया है तथा कोल्हू के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये जाने हेतु आनलाईन आवेदित आवेदन पत्र को कोल्हू की स्थापना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स में निहित प्राविधानों के अनुरूप न होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ द्वारा निरस्त कर दिया गया है। बोर्ड में आप द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन बलहीन है। क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के पत्र दिनांक 13.02.2024, 19.02.2024 एवं दिनांक 01.05.2024 के द्वारा कोल्हू के विरूद्व जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.01.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत के विरूद्व सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के पत्र सं0 एच 05613/सी–3/वायु–806/मेरठ/24 दिनांक 12.01.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैः–

1. यह कि मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधिओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

इसके अतिरिक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग पर बोर्ड द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 02.12.2023 से दिनांक 12.02.2024 की अवधि तक उल्लंघनकारी दिवस मानते हुए रू0 6250/–प्रतिदिन की दर से कुल 73 दिवसों हेतु कुल रू0 4,56,250/–(रू0 चार लाख छपन हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या–701502010002104, IFSC कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें। अन्यथा की दशा मे अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2 पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, बागपत को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।

4 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, बागपत को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।

5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट, डिवीजन, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मै0 उदयवीर सिंह का कोल्हू, ग्राम–निरपुड़ा, तहसील–बड़ौत, जनपद–बागपत की बन्दी सुनिश्चित कराये तथा उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 87AE 667224

NOTARIAL

समक्ष,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ।

शपथ पत्र ओर से निम्न प्रकार है–

1. यह कि शपथपूर्वक कथन करता हूं कि मेरा नाम उदयवीर सिंह राणा पुत्र स्व0 श्री नरसिंह राणा, निवासी ग्राम– निरपुड़ा, तहसील– बड़ौत, बागपत तथा शपथपत्र में दिये गये समस्त तथ्यों से भलिभाँति परिचित हूँ।
2. यह कि शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे कोल्हू से मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के अनुक्रम में बोर्ड के पत्राक एच11321/सी–3/वायु–806/मेरठ/24, दिनांक 22.05.2024 द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि उक्त कोल्हू बन्दी आदेश के पूर्व से ही बन्द कर दिया गया है, जिसका सत्यापन किया जा सकता है।
3. यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मै कोल्हू का सचालन बोर्ड से पूर्वानुमति के बिना नही करूंगा।

यह कि धारा 01 त 03 तक शपथ कथन पूर्णत सत्य है तथा मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

उदयवीर सिंह राणा
शपथकर्ता

ATTESTED
[illegible]HILESH KUMAR
[illegible]ARY MEERUT